अति तत्काल

फाइल संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 19th मार्च, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए फरवरी, 2020 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **फरवरी, 2020** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं0 2338 1233

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उपराष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

उपभोक्ता मामले विभाग के फरवरी, 2020 माह के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

1. दालों तथा प्याज का बफर स्टॉक :-

1.1 आयातित प्याज के निपटान की स्थिति की पुनरीक्षा करने और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी कल्याणकारी स्कीमों/प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से उपयोग करने के लिए बफर से दालों की मांग प्राप्त करने हेतु माह के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ एक वीडियों कांफ्रेंस आयोजित की गई।

1.2 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की पुनरीक्षा करने के लिए माह में दिनांक 03.02.2020 और 25.02.2020 को सचिवों की समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

1.3 माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में माननीय मंत्रियों की समिति को दिनांक 26.02.2020 को आयोजित की गई बैठक में प्याज के हालात और आयातित प्याज के निपटान की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया।

1.4 माह के दौरान आयातित प्याज के उठान में वृद्धि हुई। पीएसएफ के तहत 35,857 मीट्रिक टन की आयातित आवकों में से 29,836 मीट्रिक टन प्याज का निपटान/प्रेषण माह के दौरान किया गया। ये प्रेषण आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा आदि को किए गए। इसके अलावा, नीलामी के माध्यम से बिक्री भी की गई। मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार और नेफेड को कीमतों में नरमी लाने के लिए आयातित प्याज की खुदरा बिक्री की सलाह दी गई।

1.5 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की पुनरीक्षा के लिए माह के दौरान अंतरमंत्रालयीय समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

2. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ):

सरकार ने बोर्ड के अतिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति के लिए, दिनांक 24.07.2018 को एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 123 के तहत आदेश जारी किया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायधीन ने इस आदेश के कार्यान्वयन पर दिनांक 31.07.2018 को रोक लगा दी। सरकार ने खंड पीठ के समक्ष एलपीए दायर की। खंड पीठ ने दिनांक 30.04.2019 के अपने आदेश यह निदेश दिया कि "हमारा यह विचारणीय दृष्टिकोण है कि यदि 31.07.2018 के आदेश अर्थात् प्रशासक के बगैर दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों को निष्पादित करने में यदि कठिनाई है तो याचिकाकर्ता रिट-न्यायालय के समक्ष आदेश के आशोधन अथवा स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। फिर यह रिट-न्यायालय का कार्य होगा कि वह इस आशय का निर्णय ले कि वह इस मामले को या तो यथाशीघ्र

अंतिम रूप दे अथवा अन्य कोई उपयुक्त राहत दे।" तत्पश्चात्, एकल न्यायाधीश के समक्ष एक आवदेन दायर किया गया था जिन्होंने 10.05.2019 के आदेश द्वारा एक अंतरिम बोर्ड गठित किया जिसमें याचिकाकर्ता न.1 (डा. बिजेन्द्र सिहं, पूर्व अध्यक्ष, एन.सी.सी.एफ.), श्री अनिल बहुगुणा (जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्ध-निदेशक नियुक्त किया गया था) और न्यायाधीश (सेवा-निवृत्त) इन्दरमीत कौर अंतरिम बोर्ड की अध्यक्षा के रूप में शामिल हैं। इस आदेश से असंतुष्ट होकर, विभाग ने खंड-पीठ के समक्ष एल.पी.ए. दायर की जिसमें अपीलकर्ता को प्रशासक नियुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। यह उल्लेख किया गया था कि डॉ. बिजेन्द्र सिंह ने अयोग्यता का मामला उठाया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2019 को एल.पी.ए. का निपटान कर दिया गया था और जिसने इस मुद्दे को रिट न्यायालय के समक्ष उठाने की छूट दी थी। इस मामले पर विद्वान ए.एस.जी. के साथ चर्चा की गई थी और उनकी सलाह के आधार पर, डॉ. बिजेन्द्र सिंह और प्रबंन्ध निदेशक, एन.सी.सी.एफ. (जो बोर्ड का गैर-मताधिकार सदस्य है) के स्थान पर अंतरिम बोर्ड में भारत सरकार के 2 सेवा-निवृत्त सचिवों को शामिल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया। मानीय न्यायालय ने अपने दिनांक 30.08.2019 के आदेश के माध्यम से सरकार के अनुरोध को स्वीकार किया। माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 12.09.2019 के आदेश के तहत एनसीसीएफ का एक अंतरिम बोर्ड गठित किया है। इस अंतरिम बोर्ड की बैठकें दिनांक 28.10.2019, दिनांक 02.11.2019 और 31.01.2020 को आयोजित की गई। श्री अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव, जिन्होंने प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ का अतिरिक्त पदभार संभाला हुआ था, दिनांक 30.11.2019 को अधिवर्षिता का आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति हो गए, के स्थान पर श्री अमित मेहता, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग को 11.12.2019 से 29.02.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबी) ने दिनांक 13.01.2020 को आयोजित अपनी बैठक में मनोज कुमार सेमवाल, आईआरएसईई (1992) को प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के अनुमोदन से, सीएसबी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और श्री मनोज कुमार सेमवाल को प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ के रूप में नियुक्त करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को संप्रेषित किया गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का निर्णय प्रतीक्षित है। विभाग ने दिनांक 27.02.2020 के पत्र के माध्यम से एसीसी से श्री अमित मेहता के कार्यालय में तीन माह की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरा हो जाने तक, जो भी पहले हो, विस्तार करने का अनुरोध किया है।

श्री कमल चौधरी तत्कालीन प्रबंध निदेशक, एन.सी.सी.एफ. ने निलम्बन और आरोप-पत्र को निरस्त करने और उनके मूल विभाग में वापिसी के लिए दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को माननीय कैट (CAT) में एक ओए दायर किया। श्री चौधरी के निलंबन को वापिस लेने और उनके मूल विभाग में वापिसी के अनुरोध पर समिति द्वारा विचार किया गया

और सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें सौंपी गई। परिणामस्वरूप, श्री चौधरी के निलंबन को दिनांक 05.11.2019 से वापिस ले लिया गया और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से श्री कमल चौधरा, आईडीएएस के उनके मूल विभाग में समयावधि से पहले वापिसी के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 25.11.2019 को माननीय केंद्रीय अपीलीय अधिकरण (कैट) ने प्रतिवादी को यह निदेश देते हुए मामले को खारिज कर दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर आवेदक की समय से पहले मूल विभाग में वापिसी से संबंध मुद्दों का समाधान करें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 27.12.2019 के आदेश के तहत श्री चौधरी को उनके मूल संवर्ग अर्थात् सीजीडीए में वापिसी के मामले को अनुमोदन दे दिया। परिणामस्वरूप, विभाग ने दिनांक 20.01.2020 के आदेश के तहत श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में रिपोर्ट करने का निदेश देते हुए कार्यभार मुक्त कर दिया।

3. भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) :-

3.1 दिनांक 4-5 फरवरी, 2020 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में जापानीज इंडस्ट्रीयल स्टैंडर्ड कमिटी (जेआईएससी), जो जापान का राष्ट्रीय मानक निकाय है, के सहयोग से बीआईएस द्वारा आयोजित की गई संयुक्त कार्यशाला में भारत और जापान के उद्योग-जगत, अनुसंधान संस्थानों, सरकार के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों ने ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में मानकीकरण अनुभवों और हालिया विकास साझा किए। इस आदान-प्रदान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सेलों और बैटरियों, सुरक्षा अपेक्षाओं आदि जैसे विभिन्न विषय शामिल थे।

3.2 ठोस बायोमास के लिए प्राथमिकता के आधार पर मानकीकरण के संबंध में वैज्ञानिक, अकादमिक और औद्योगिकी क्षेत्रों से बायोमास विशेषज्ञों सहित सभी संगत हितधारकों को सुग्राही बनाने और एक साथ लाने के उद्देश्य से, सीएसआईआर-सीआईएमएफआर और बीआईएस द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 27 जनवरी, 2020, सोमवार को सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद में 'ठोस बायोईधन के संबंध में भारतीय मानकों की आवश्यकता' पर एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3.3 बी.आई.एस. के एक अधिकारी ने आईजी, आईटीबीपी की अध्यक्षता में दिनांक 29 जनवरी, 2020 को आईटीबीपी, नई दिल्ली में आयोजित खादी वस्तुओं की खरीद और इस विषय पर भारतीय मानक की उपलब्धता के संबंध में एक बैठक में भाग लिया। इस बैठक के दौरान, हैंड टॉवल, चादरों और दरियों के लिए भारतीय मानकों की उपलब्धता के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मौजूदा क्यूआर से महत्वपूर्ण तकनीकी अंतरों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

3.4 माननीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिनांक 7 फरवरी, 2020 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रो में पीने योग्य पेय जल की व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारम्भ किया। इस सम्मेलन के दौरान माननीय मंत्री जी ने सभी विभागों से स्वच्छ जल मिशन की सफलता के लिए एक साथ

मिलकर कार्य करने का अनुरोध किया। बीआईएस के एक अधिकारी ने पेय जल के लिए भारतीय मानक आईएस 10500:2012 और पाइप्ड जल की आपूर्ति और वितरण निकायों के लिए बीआईएस की प्रस्तावित अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकारों और लोक स्वास्थ्य विभागों को मानक निर्धारण क्रियाकलाप में भाग लेना चाहिए और आईएस 10500 विनिर्देशनों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए।

3.5 बीआईएस ने आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 25 फरवरी, 2020 को एक बैठक का आयोजन किया। इस विचार विमर्श के दौरान, यह पाया गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम का संचालन कर रहा है जिसके तहत आंगनवाड़ी में बच्चों और उनकी माताओं को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन को तैयार करने (रेसिपी) के लिए कतिपय मानक निर्धारित किए गए हैं। यह देखा गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत आने वाले सदस्य फोर्टिफाइड खाद्य वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार इस पर सहमति बनी कि इस प्रयोजनार्थ एक रोडमैप तैयार किया जा सकता है और कार्रवाई योजना को और अधिक कार्यनीतिक बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी इस समूह का भाग बनाया जाना चाहिए।

3.6 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथापरिचालित मेम्ब्रेन आधारित वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम का उपयोग करने के संबंध में मसौदा विनियमन पर चर्चा करने के लिए दिनांक 25 फरवरी, 2020 को एक बैठक का आयोजन किया गया।

3.7 इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों के लिए अनिवार्य पंजीकरण स्कीम (सीआरएस) के तहत, दिनांक 25 फवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार, विश्व भर में अवस्थित विनिर्माताओं को बीआईएस द्वारा 21842 पंजीकरण प्रदान किए गए हैं। फरवरी, 2020 के दौरान, 362 आवेदन प्राप्त हुए और 286 पंजीकरण प्रदान किए गए।

3.8 प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय: (क) सीपीडब्ल्यूडी की सहायता से केंद्रीय प्रयोगाशाला का नवीनीकरण किया गया; अवसंरचना सुदृढ़ीकरण का कार्य अगले माह में आरम्भ किया जाएगा; (ख) प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए आरएफपी फ्लोट की गई; (ग) उपकरणों की खरीद के लिए आरएफपी फ्लोट करने के लिए शुरूआती कदम उठाए गए; (घ) बीआईएस की सभी प्रयोगशालाओं में निर्देश एसेईंग केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया; (ङ) पेयजल के लिए पूर्ण परीक्षण सुविधाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया; (च) निजी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने की नीति में संशोधन किया गया।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्याज के थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर लगाई गई स्टॉक सीमाओं को दिनांक 27.02.2020 के आदेश संख्या का.आ. 901 (अ) के तहत वापिस ले लिया गया।

- आवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के तौर-तरीकों और विषयक्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए आईआईपीए के साथ दिनांक 14.02.2020 को एक बैठक आयोजित की गई। आईआईपीए ने इसके लिए अनुमानित लागत, समय-सीमा, कार्यपद्धति, सैम्पल साईज, भुगतान अनुसूची आदि सहित एक विस्तृत प्रस्ताव प्रदान करने पर सहमति जताई है।

5. **मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

क्रम सं.	**सूचकांक**	**मुद्रास्फीति दर (%)**		
		जनवरी, 2020 (अनन्तिम)	**दिसम्बर, 2019 (अनन्तिम)**	**जनवरी, 2019 (अंतिम)**
1	थोक मूल्य सूचकांक # **(वार्षिक)**	3.10	2.59	2.78
2	थोक मूल्य सूचकांक # **(खाद्य वस्तुएं)**	11.51	13.24	2.41
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(औद्योगिक कामगार)**	7.49	9.63	6.60
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) **(संयुक्त)***	7.59	7.35	1.97
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)***	13.63	14.19	-2.24

*:- श्रृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

7. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य जुलाई, माह की तुलना में जनवरी, 2020 माह की तुलना में फरवरी, 2020 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य जनवरी, 2020 की तुलना में फरवरी, 2020 माह के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और नीचे दिया गया है -:

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें (रुपये/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	फरवरी, 2020 (अद्यतन)	जनवरी, 2020 (विगत माह)	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	34	34	0
2	गेहूं	29	29	0
3	आटा	30	30	0
4	चना दाल	66	66	-1
5	तूर दाल	87	88	-1
6	उड़द दाल	99	99	0
7	मूंग दाल	96	93	3
8	मसूर दाल	68	67	1
9	चीनी	39	39	0
10	दूध (प्रति लीटर)	45	45	0
11	मूंगफली का तेल	137	137	0
12	सरसों का तेल	118	117	1
13	वनस्पति	89	87	2
14	सोया तेल	99	98	1
15	सूरजमुखी का तेल	108	106	2
16	पाम ऑयल	90	89	1
17	गुड़	46	46	0
18	खुली चाय	218	218	0
19	पैकबंद नमक	16	16	0
20	आलू	23	27	-4
21	प्याज़	39	64	-26
22	टमाटर	22	26	-4

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

शून्य

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन :**ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।**

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापित नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5. **ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति**

फाइलों की कुल संख्या	ई-फाइलों की कुल संख्या
263	**222**

6. **लोक शिकायतों की स्थिति** :

फरवरी, 2020 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**फरवरी, 2020** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
770	**344**

7 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

फरवरी, 2020 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**फरवरी, 2020** माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या
50164	**36949**

8. न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 114 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को विभाग की वेबसाइट द्वारा तत्काल प्रसारित किया जाता है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार नेमी प्रकार के अन्य सरकारी कार्य भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि विलंब से बचा जा सके तथा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

*****